

झारखण्ड सरकार  
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: संकल्प :-

राँची, दिनांक-20/04/26 ई०।

संख्या-11/स्था० (अराज०)-02/2018-2339/विभागीय संकल्प-16/नि०-01/2025-3433, दिनांक-28.08.2025 (झारखण्ड गजट का असाधारण अंक सं०-440, दिनांक-23.09.2025) की कंडिका-1 (iii) द्वारा प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि अर्थात् 01.08.2019 निर्धारित की गई है।

2. अतः झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (नियमित एवं बैकलॉग) विज्ञापन संख्या-07/2025 के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की तिथि 01.08.2019 से की जाएगी।

3. यह सुविधा मात्र झारखण्ड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (नियमित एवं बैकलॉग) विज्ञापन सं०-07/2025 के लिए अनुमान्य होगी। इसके पश्चात् यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(6)  
17/04/2026  
(मनीषा जोसेफ तिग्गा)  
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 11/स्था०(अराज०)-02/2018-2339/राँची, दिनांक-20/04/26

प्रतिलिपि :- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर वाद W.P.(S) No-1634/2026- Mumtaz Ansari & Ors. Vs State of Jharkhand के क्रम में/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, झारखण्ड, राँचीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(6)  
17/04/2026  
(मनीषा जोसेफ तिग्गा)